कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
9/1/17 — पत्रावली पेश हुई। वादी–प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानुन व्यवस्था, अवकाश पर होने से पत्रावाली दिनांक 10/1/17 को पेश होवे। आज्ञा से (हस्ताक्षर) रीडर उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव	
10/1/17 पत्रावली आज प्रार्थिया श्रीमती पुंजी बाई पत्नि पदमा मीणा पुत्री स्व. चरमा खराडी निवासी ऋषभदेव हाल निवासी कलुआ तहसील सराडा ने अपने अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल एवं अपने पुत्र श्री बाबुलाल के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1(3) सपठित धारा 151 जा. दि. का तथा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली तलबी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया द्वारा इस न्यायालय में वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 10/1/17 में नियत है। उक्त प्रकरण में वादीया के वाद में प्रारुपिक त्रुटि एवं क्षेत्राधिकार की त्रुटि अधिवक्ता द्वारा कर दी है जिससे उक्त वाद के विफल होने की संभावना है जिसका नुकसान वादीया को होगा जिससे वादीया अपना वाद को विड्रो करना चाहती है एवं अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए नया वाद पेश करने की स्वीकृति चाही गई है। वाद प्रारंभिक स्टेज पर है जिसमें जवाबदावा भी पेश नही हुआ है। जिससे प्रतिवादीगण के हितो पर कोई प्रभाव नही पडेगा। अन्त में वादीया के नया वाद प्रस्तुत करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए यह वाद विड्रो करने की स्वीकृति चाही गई है। उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली शाखा से तलब की गई। वादीया श्रीमती पुंजी बाई मीणा मय अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल तथा पुत्र बाबुलाल की उपस्थिति में वादीया को यह विड्रो प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया जिसे वादीया ने सही होना स्वीकार किया	LTI (अंगूठा निशान) नि. (पुंजीबाई) बाबुलाल (वादीया का पुत्र) (हस्ताक्षर)

cont-N. Page.

(हस्ताक्षर)

तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद को विड्रा करने में अपनी स्वीकृति दी। वादीयां की पहचान उनके साथ उपस्थित अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल ने की। अतः वादीगण के नया दावा प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए यह वाद पत्र विड्रा करने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।